न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या 135/2016

वादी	बनाम	प्रतिवादी
पप्पुराम उर्फ भंवरलाल पुत्र स्व. गोपीलाल उर्फ गोपाराम जाति आचार्य निवासी डेह तहसील जायल जिला नागौर।		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

वाद अधीन धारा 88 राजस्थान काश्तकार अधिनियम
सपठित धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक :-18/5/17

वादी की ओर से निम्न वाद पत्र प्रस्तुत कर इश्तदुआ की कि, वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 116 रकबा 33 बीघा 3 बिस्वा सरहद मौजा जाजोलाई तहसील नागौर में स्थित रहता आया है। उक्त भूमि दिनांक 08.07.1968 को वादी के नाम से खरीद की गई थी तब वादी नाबालिग था तथा उसे भंवरलाल नाम उक्त विक्रय पत्र में अंकित कर दिया गया जबकि वास्तव में वादी का नाम भंवरलाल नहीं होकर पप्पुराम था व है।

यह है कि, वादी का गांव में बोलता नाम भंवरलाल है किन्तु वास्तव में उसका नाम पप्पुराम है तथा उसी अनुसार पप्पुराम के नाम से ही उसका राशनकार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड आदि में अंकन किया हुआ है। खसरा नम्बर 116 पर आज दिन भी बतौर खातेदार काबिज़ काश्त वादी का ही चला आ रहा है तथा वादी ही भंवरलाल व पप्पुराम है, जिसको दो नामो से पुकारा जाता है जिसके कारण विक्रय पत्र में भंवरलाल पुत्र गोपीलाल अंकित कर दिया गया। जबकि, वास्तव में उसका नाम पप्पुराम पुत्र गोपाराम जाति आचार्य निवासी जाजोलाई है। इस प्रकार भंवरलाल व पप्पुराम एक ही व्यक्ति है व उसके पिता का नाम गोपीलाल उर्फ गोपाराम एक ही अंकित कर दिया है जबकि वादी के दस्तावेजो में गोपाराम अंकित कर दिया गया है। इसलिये इसे भी दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

यह है कि, अभी दिनांक 31.08.2016 को वादी केसीसी बनवाने के लिये खतौनी की नकल के लिये पटवारी हल्का के पास गया तो उसने नकल निकाल कर बताया कि, उक्त खेत भंवरलाल पुत्र गोपीलाल के नाम से है, तब वादी को उक्त तथ्य की जानकारी हुई की, उसका नाम विक्रय पत्र व खतौनी में बोलता नाम भंवरलाल गलत अंकित कर दिया गया है। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्याय संगत है।

यह है कि, विक्रय पत्र में त्रुटिवंश वादी पप्पुराम के स्थान पर उसका बोलता नाम भंवरलाल अंकित कर दिया गया, जिसके कारण खतौनी में भी भंवरलाल अंकित हो गया व वादी के पिता का नाम भी गोपाराम के स्थान पर गोपीलाल अंकित हो गया है। उक्त भूमि पर कब्जा काश्त निर्बाध व शांति पूर्वक निरन्तर वादी का ही चला आ रहा है। इसलिए वादी के नाम से उपरोक्त खसरान की खातेदारी घोषित करवाने हेतु यह वाद पेश करना लाजमी हुआ है।

सहायक कलेक्टर
(SDO), नागौर

पप्पुराम बनाम सरकार
राजस्व वाद संख्या 135/2016

यह है कि, वादी ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है जिसे कानूनी जानकारी नहीं है, खतौनी की नकल लेने पर उसे अगस्त 2016 में उपरोक्त तथ्य की जानकारी हुई, तब से बिनाय दावा वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी बमुकाम जाजोलाई तहसील नागौर में पैदा हुआ।

यह है कि, तहसीलदार नागौर को राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से पक्षकार बनाया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार नागौर से वाद की पैरा अनुसार तथ्यात्मक रिपोर्ट ली गई।

वादी ने वाद के समर्थन मे अपने बयान करवाये तथा गवाह बालुराम के बयान करावे। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल खतौनी ग्राम जाजोलाई विक्रय अभिलेख की फोटो प्रति ग्राम पंचायत झाडीसरा का प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र आधार कार्ड की फोटो प्रति पेश की। न्याय आपके द्वार अटल सेवा केन्द्र झाडीसरा मे पत्रावली पेश हुई। सरंपच ग्राम पंचायत झाडीसरा एवं मजमेआम मे पुछताछ की गई। तो मजमे आम मे बताया की वादी भँवरलाल का सही नाम पप्पुराम पुत्र गोपीलाल जाति अचारी है। वादी को गांव मे बोलता नाम से भँवरलाल पुकारा जाता है।

अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। खेत खसरा नं. 116 रकबा 33.03 बीघा ग्राम जाजोलाई तहसील नागौर मे दर्ज खातेदार भँवरलाल पुत्र गोपीलाल कौम अचारी के स्थान पर पप्पुराम उर्फ भँवरलाल पुत्र गोपाराम उर्फ गोपीलाल जाति अचारी दुरस्त किया जाता है।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.)नागौर

निर्णय आज दिनांक 18/5/17 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एस.डी.ओ.) नागौर